कार्यालयः जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सम्भल।

पत्रांक–बे.शि./ 2999-3004 /2026–27, दिनांक– 31/07/26

प्रबन्धक/प्रधानाध्यापक
एकेडमिक ऑफ मार्डन लर्निग स्कूल,
विकास क्षेत्र गुन्नौर, जनपद सम्भल,

विषयः– प्रबन्धक, एकेडमिक ऑफ मार्डन लर्निग स्कूल, विकास क्षेत्र गुन्नौर, जनपद सम्भल के द्वारा कक्षा 01 से 08 तक, अंगेजी माध्यम से मान्यता के स्थायीकरण के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक, आप द्वारा उपलब्ध कराये गये आवेदन पत्र दिनांक 27.05.2026 पर खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास क्षेत्र जुनावई के पत्र संख्या ख.शि./147/2026–27, दिनांक 30.07.2026 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी जॉच आख्या एवं अभिलेखों के अनुसार इस कार्यालय के पत्र संख्या शि.सहा./मान्यता/33/2014–15 दिनांक 17.07.2014 के द्वारा एकेडमिक ऑफ मार्डन लर्निग स्कूल, विकास क्षेत्र गुन्नौर, जनपद सम्भल को कक्षा नर्सरी से 08 तक, अंग्रेजी माध्यम की अंनतिम अस्थाई मान्यता दिनांक 01.07.2014 से दिनांक 30.06.2017 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रदान की गयी है। जिसमें खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास क्षेत्र जुनावई द्वारा मानक व शर्ते पूर्ण करने की स्थिति में स्थायीकरण करने हेतु संस्तुति की गयी है।

शिक्षा निदेशक(बेसिक), उ.प्र. लखनऊ के पत्र संख्या शि.नि.(बे.)/मान्यता/38274–371/2025–26, दिनांक 10.10.2025 के अनुसार **"शासनादेश दिनांक 08 मई 2013 की शर्तों के अधीन मान्यता प्राप्त विद्यालयों को शासनादेश दिनांक 08 मई 2013 के प्रस्तर–13 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत जिन विद्यालयों को औपबन्धिक मान्यता प्रदान की गयी है तथा मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं हुआ है तो औपबन्धिक मान्यता प्राप्त होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है।"** के निर्देश है।

अतः एतदद्वारा खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास क्षेत्र जुनावई के द्वारा प्रस्तुत आख्या/संस्तुति दिनांक 30 जुलाई, 2026 एवं शिक्षा निदेशक(बेसिक), उ.प्र. लखनऊ के पत्र संख्या शि.नि.(बे.)/मान्यता/38274–371/2025–26, दिनांक 10.10.2025 के आधार पर सम्यक विचारोपरान्त एकेडमिक ऑफ मार्डन लर्निग स्कूल, विकास क्षेत्र गुन्नौर, जनपद सम्भल के द्वारा कक्षा नर्सरी से 08 तक, अंग्रेजी माध्यम की अंनतिम मान्यता की अवधि, मानक व शर्ते पूर्ण होने की दशा में विद्यालय की मान्यता को स्थायी मान्यता की श्रेणी में इस प्रतिबन्ध के साथ अंकित किया जाता है कि उक्त में किसी भी प्रकार का तथ्य छुपाये जाने, भ्रम की स्थिति उजागर होने अथवा विसंगति की दशा में उक्त आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा। जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व एवं जिम्मेदारी स्वयं विद्यालय प्रबन्धन की होगी।

31.07.26
(अलका शर्मा)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
सम्भल।
31/07/26

पृ.सं./बे.शि./ /2026–27 दिनांक–उक्तवत।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ, अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. शिक्षा निदेशक(बेसिक), उ.प्र. लखनऊ।
2. सचिव, उ.प्र. बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज।
3. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), द्वादश मण्डल मुरादाबाद।
4. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, जनपद सम्भल।
5. कार्यालय प्रति।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
सम्भल।

MANAGER
Academy Of Modern Learning
Gunnaur (Sambhal)

PRINCIPAL
Academy Of Modern Learning
Gunnaur (Sambhal)